न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 75/2024

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2024/347

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी मारवाड़ जंक्शन	:	1. किशोर पुत्र मंगलाराम निवासी 168 के जाडन खालसा जाडन तहसील मारवाड जंक्शन हाल प्रोपराईटर फर्म मैसर्स आशापुरा किराणा स्टोर एवं सब्जी भण्डार जाडन तहसील मारवाड जंक्शन

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश मेवाड़ा।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30/12/2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.09.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी मारवाड जंक्शन हमराह कमल कुमार पंवार प्रवर्तन अधिकारी एवं जितेन्द्र सिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी की फर्म मैसर्स आशापुरा किराणा स्टोर एवं सब्जी भंडार जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन पर पहुंचे। मौके पर किशोर पुत्र मंगलाराम उपस्थित मिले जिन्होने खुद को फर्म का प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान भुण्डाराम पुत्र गोकुलराम निवासी मेघवालों का बास जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन एवं शरीफ मो. पुत्र चांद मोहम्मद निवासी सिरवीयों का बास शिवपुरा तहसील सोजत हाल डिलीवरी मैन चामुण्डा भारत गैस शिवपुरा की उपस्थिति में प्रतिष्ठान में जांच के दौरान 17 घरेलु गैस सलेण्डर (14.02 किग्रा) (9 एचपी, 2 इण्डेन व 6 भारत गैस कम्पनी) के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पाये गये। जिसका अप्रार्थी द्वारा किराने कि दुकान में घरेलु गैस सिलण्डरों का अवैध भण्डारण एवं अधिक मुल्य पर बेचना पाया गया एंव अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धी आवश्यक विंधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही संतोषजनक जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डरों को वास्ते सबुत कब्जे लिया जाकर मौके पर मैसर्स चामुण्डा भारत गैस शिवपुरा के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी–1 के अनुसार स्थिति पाई गई :–

सारणी–1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	15.600	15.600	0.000	779579 S
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	15.800	15.800	0.000	066561 T
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	15.500	15.500	0.000	837928 S
4	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	15.300	15.300	0.000	071090 T
5	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	15.800	15.800	0.000	988680 T
	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	15.500	15.500	0.000	022262 T
7	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	15.500	15.500	0.000	253845 F
8	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	16.400	16.400	0.000	237908 S
9	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	15.400	15.400	0.000	822752
10	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	15.600	15.600	0.000	628950 S
11	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	15.600	15.600	0.000	164848 T
12	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	15.700	15.700	0.000	549134 S
13	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	15.500	15.500	0.000	190879 S
14	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	15.500	15.500	0.000	433827 S
15	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	15.600	15.600	0.000	844078
16	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	15.600	15.600	0.000	208714 S
17	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	15.000	15.000	0.000	109650 SB

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी–1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु त्रिभुवन सिंह पुत्र किशनसिंह निवासी ग्राम चवाड़िया तहसील मा.ज. हाल मैनेजर चामुण्डा भारत गैस शिवपुरा को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 17 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा) को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित जवाब एवं विभिन्न शपथ पत्र पेश कर वक्त वहस कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन अधिकारी पाली द्वारा जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के परिचितो के है, जो आसपास अपने खेतों में निवास करते है। गैस एजेन्सी का टेम्पों अप्रार्थी की दुकान के सामने आकर खड़ा रहता है, जहां से वह उपभोक्ता को डिलीवरी देता है, उपभोक्ताओ द्वारा अप्रार्थी की फर्म में खाली गैस सिलेण्डर नम्बर लगाकर भरवाने के लिए रखी थी। अप्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का व्यवयायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी की फर्म से खाली सिलेण्डरों के अलावा अन्य सामग्रीं जैसे रेगुलेटर, पाईप रिफलिंग पार्टस इत्यादि किंसी प्रकार का सामान बरामद नहीं हुआ है। जब्तशुदा सभी गैस सिलेण्डरों के मालिकों ने जब्तशुदा टंकी छुडवाने के लिए प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किये जिस कारण उपरोक्त प्रकरण मिथ्या एवं झुठा है। अतः हस्तगत प्रकरण विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमाकर प्रार्थी द्वारा जब्त सभी गैस सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटाया जावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म आशापुरा किराणा स्टोर एवं सब्जी भण्डार जाडन तहसील मा.ज. पर घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान भुण्डाराम पुत्र गोकुलराम निवासी मेघवालों का बास जाडन तहसील मारवाड जंक्शन एवं शरीफ मो. पुत्र चांद मोहम्मद निवासी सिरवीयों का बास शिवपुरा तहसील सोजत हाल डिलीवरी मैन चामुण्डा भारत गैस शिवपुरा की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में 2 इण्डेन कम्पनी, 9 एचपी, 6 भारत गैस कम्पनी कुल 17 घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये। उक्त गैस सिलेण्डर के भण्डारण एवं व्यवसायिक उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न शपथ पत्रों से यह स्पष्ट नहीं होता की फर्म द्वारा जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण/व्यवसायिक उपयोग नहीं हो रहा था। साथ ही मौके पर भी अप्रार्थी जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के बारे में कोई सन्तुष्टि पूर्ण जवाब एवं दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहे। प्रार्थी द्वारा उक्त 17 घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया अपने कब्जे में लेकर मैसर्स चामुण्डा भारत गैस शिवपुरा को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवसं विनियमन) आदेश 2000 के तहत की है। लिहाजा उक्त जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी–1 में वर्णित 17 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 17 गैस सिलेण्डरों को मय गैस राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेंषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 86(8)खा. ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली